Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **भीलवाड़ा में निर्माण कम्पनी का लाइजन अधिकारी एवं दलाल (प्राईवेट व्यक्ति) 50 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *13 जनवरी, शुक्रवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर भीलवाड़ा–द्वितीय इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये शंभुदयाल बावरिया लाइजन अधिकारी, आई.आर.बी. मॉर्डन रोड़ मैकर्स प्रा.लि. भीलवाड़ा (एन.एच.ए.आई. से संबंद्ध) एवं उसके दलाल हस्तीमल जैन (प्राईवेट व्यक्ति) को परिवादी से **50 हजार रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की भीलवाड़ा–द्वितीय इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि पुर बाईपास पर निर्माणाधीन मकान को नहीं तोड़ने तथा एन.एच.ए. आई. अधिकारियों द्वारा भी नहीं तोड़ने की जिम्मेदारी लेकर शंभुदयाल बावरिया लाइजन अधिकारी, आई.आर.बी. मॉर्डन रोड़ मैकर्स प्रा.लि. भीलवाड़ा (एन.एच.ए.आई. से संबंद्ध) द्वारा **50 हजार रुपये** रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, अजमेर के **उपमहानिरीक्षक पुलिस श्री समीर कुमार सिंह** के सुपरवीजन में एसीबी भीलवाड़ा–द्वितीय इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ब्रजराज सिंह** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **उप अधीक्षक पुलिस श्री शिव प्रकाश** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये शंभुदयाल बावरिया पुत्र श्री उमराव सिंह निवासी सुभाषनगर पोस्ट मीरपुर, पुलिस थाना नारनोल, जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा हाल निवासी मकान नं0 41, शिव मंदिर के पास जैन किराणा के सामने, सुभाषनगर, भीलवाड़ा हाल लाइजन अधिकारी, आई.आर.बी. मॉर्डन रोड़ मैकर्स प्रा.लि. भीलवाड़ा (एन.एच. ए.आई. से संबंद्ध) को उसके दलाल हस्तीमल जैन पुत्र श्री मदनलाल जैन निवासी मकान नं0 40, कमला पॉम, भीलवाड़ा (प्राईवेट व्यक्ति) के माध्यम से परिवादी से 50 **हजार रुपये की रिश्वत** लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24x7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।